पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
विवेक कुमार

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2015 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 11053

24 अगस्त, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित प्राधिकारी के समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका, जिसमें विकास मित्र की नियुक्ति के लिए उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था, में हस्तक्षेप की आवश्यकता है?

हेडनोट्स

सेवा कानून—विकास मित्र—नियुक्ति—अस्वीकृति—याचिकाकर्ता को योग्यता सूची में क्रम संख्या 2 पर रखा गया था—याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में निजी उत्तरदाता संख्या 7 के चयन को चुनौती दी थी—रिट याचिका खारिज कर दी गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता को उप-मंडल मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी शिकायत उठाने की स्वतंत्रता दी गई थी—याचिकाकर्ता ने उप-मंडल अधिकारी के समक्ष अपना मामला दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया—याचिकाकर्ता ने संबंधित प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे भी बिना किसी स्पष्ट आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

निर्णय: दंडाधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश यह नहीं दर्शाता है कि याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के लिए कोई स्पष्ट, ठोस और संक्षिप्त कारण प्रस्तुत किए गए हैं—आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है और मामले को कानून के अनुसार पुनः सुनवाई और नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को वापस भेज दिया जाता है—रिट याचिका स्वीकार की जाती है।**(कंडिका 2, 7, 9 और 10)**

न्याय दृष्टान्त

ओरिक्स फिशरीज (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ, **(2010) 13 एससीसी 427**—पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

सेवा कानून

मुख्य शब्दों की सूची

विकास मित्र, नियुक्ति; अस्वीकृति; अवाक् आदेश;

प्रकरण से उत्पन्न

विविध पुनरीक्षण (विकास मित्र) वाद संख्या 86/2013 में जिला दंडाधिकारी-सह-समहर्ता, औरंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2014 से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री पुरुषोत्तम शर्मा, अधिवक्ता;

राज्य की ओर से: श्री साजिद सलीम खान, एससी-**25**; श्री आरिफ दौला सिद्दीकी, एसी से एससी-**25**।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 की दीवानी विविध क्षेत्राधिकार मामला सं. 11053

==========

विवेक कुमार, पिता- कपिल देवी मोची, निवासी, गाँव- कांकेर, डाकघर- बरहेम, थाना- नवीनगर, पंचायत, कांकेर, जिला-औरंगाबाद।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. जिला दंडाधिकारी, औरंगाबाद।
3. उप-मंडलीय पदाधिकारी, औरंगाबाद।
4. जिला कल्याण अधिकारी, औरंगाबाद।
5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवीनगर, औरंगाबाद।
6. प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, नवीनगर, औरंगाबाद।
7. उमेश राम, पिता- कुलदिप राम, निवासी, ग्राम- सलैया कर्मा, डाकघर- पिरोंटा, ग्राम पंचायत केकरा, प्रखंड- नवीनगर, जिला-औरंगाबाद।

.....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थित :

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पुरुषोत्तम शर्मा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री साजिद सलीम खान, एससी-25

श्री आरिफ दौला सिद्दीकी, एसी से एससी-25

==========

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

दिनांक : 24-08-2023

1. यह वर्तमान रिट याचिका दिनांकित 28.12.2012 के उस आदेश को अपास्त करने के लिए दायर की गई है, जो उप- मंडलीय अधिकारी, औरंगाबाद द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत ग्राम पंचायत- कांकेर, गाँव-बरहेम, थाना-नवीनगर, जिला-औरंगाबाद में विकास मित्र के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता का मामला खारिज कर दिया गया

है। याचिकाकर्ता ने दिनांकित 05.12.2014 के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जो जिला दंडाधिकारी-सह-समहर्ता, औरंगाबाद द्वारा 2013 की विविध पुनरीक्षण (विकास मित्र) वाद सं. 86 में पारित किया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वर्ष 2010 में, कांकेर पंचायत, गाँव-बरहेम, जिला-औरंगाबाद द्वारा विकास मित्र की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी और दिनांकित 10.03.2010 को एक योग्यता क्रम सूची तैयार की गई थी, जिसमें निजी उत्तरदाता सं. 7 को क्रम सं. 1 पर दिखाया गया था, जबकि याचिकाकर्ता को योग्यता क्रम सूची में क्रम सं. 2 पर रखा गया था। याचिकाकर्ता ने तब अपनी आपत्ति दर्ज की थी और जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उसने इस न्यायालय के समक्ष 2011 की सी.डब्लू.जे.सी. सं. 17652 के तहत एक रिट याचिका दायर की थी, जिसके तहत और जिसके अन्तर्गत यद्यपि रिट याचिका खारिज कर दी गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत उप-मंडलीय दंडाधिकारी के समक्ष उठाने की स्वतंत्रता दी गई थी। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने उप-मंडलीय पदाधिकारी, औरंगाबाद के समक्ष 2022 की विविध मामला सं. 03 के तहत एक विविध मामला दायर किया था, हालांकि इसे दिनांकित 28.12.2012 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को जिला दंडाधिकारी, औरंगाबाद के समक्ष 2013 की विविध पुनरीक्षण (विकास मित्र) मामला सं. 86 के तहत चुनौती दी थी, हालांकि, वह भी दिनांकित 05.12.2014 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया संक्षिप्त मुद्दा यह है कि दिनांकित 05.12.2014 के आक्षेपित आदेश के मात्र अवलोकन से यह पता चलेगा कि यह केवल वर्तमान मामले में घटित घटनाओं का विवरण है और अंततः, पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने का कोई कारण या आधार बताए बिना, पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई है।

4. *इसके विपरीत,* उत्तरदाता-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने हालांकि यह दलील दिया है कि कार्यवाही के संचालन में कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं है, हालांकि, वह यह दिखाने में असमर्थ है कि दिनांकित 05.12.2014 का आक्षेपित आदेश एक तर्कपूर्ण तथा वक्तव्य आदेश है।

5. जहाँ तक निजी उत्तरदाता सं. *7* का सम्बन्ध है, हालांकि उनका प्रतिनिधित्व एक विधिवत नियुक्त अधिवक्ता, श्री सत्यपाल सिंह, अधिवक्ता, परंतु उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की जहमत नहीं उठाई है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

7. समहर्ता, औरंगाबाद द्वारा पारित दिनांकित 05.12.2014 के आक्षेपित आदेश के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के निर्णय पर पहुंचने के लिए कोई स्पष्ट, ठोस और संक्षिप्त कारण दिए गए हैं कि याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका को अस्वीकार करने की आवश्यकता है।

8. यह एक अच्छी तरह से स्थापित विधि है कि ठोस, स्पष्ट तथा संक्षिप्त कारण प्रस्तुत करना निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक आवश्यक घटक है तथा इसके अभाव में, निर्णय को विधि की नजर में कायम नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में, **ओरीक्स फिशरीज (पी*) लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2010) 13* एस.सी.सी. *427*** में प्रतिवेदित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय का उल्लेख किया जाना चाहिए।

9. इस स्थिति को देखते हुए, यह न्यायालय यह मानता है कि चूंकि दिनांकित 05.12.2014 के आक्षेपित आदेश में याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं होने के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई स्पष्ट, सुसंगत या संक्षिप्त कारण नहीं दिए गए हैं, इसलिए इसे कानून की दृष्टि में टिकाऊ नही है। अतः, जिला दंडाधिकारी-सह-

समहर्ता, औरंगाबाद द्वारा 2013 की विविध पुनरीक्षण (विकास मित्र) वाद सं. 86 में पारित दिनांकित 05.12.2014 के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है और मामले को कानून के अनुसार पुनः सुनवाई और नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए समहर्ता, औरंगाबाद को वापस भेज दिया जाता है।

10. रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

कंचन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।